न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 02/2021
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. आकाशदीप सिंह पुत्र श्री जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)

....वादीगण

ब ना म

1. जगमोहन सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
2. समनदीप कौर पुत्री श्री जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
3. कमलदीप कौर पुत्री श्री जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
4. सुखप्रीत कौर पुत्री श्री जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
5. कुलविन्द्र कौर पत्नी श्री जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादीगण)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी 1–5)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 6)

दिनांक 16.2.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 वादी की बहिने तथा प्रतिवादिया संख्या 5 वादी की माता है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके चक 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/26 का मुरब्बा नम्बर 64 की कुल 1.493 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि, खाता संख्या 38/20 का मुरब्बा नम्बर 6 की 2.240 है0 नहरी कृषि भूमि, खाता संख्या 40/17 का मुरब्बा नम्बर 60 की 1.050 है0 नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 4.783 है0 कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है उक्त कृषि भुमि प्रतिवादी सख्या 01 को अपने पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त. हुई है, तथा जद्दी जायदाद है। हिन्दु विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पति मे जन्म लेते ही हक पैदा हो जाता है। उक्त सम्पति पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 4 का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ जन्म से हक वा 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 4 ने प्राकृतिक स्नेहवश अपने हक व हिस्सा का हक परित्याग वादी के पक्ष मे किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त भूमि का आपसी सहमति से वादी के साथ बंटवारा करके घरु बंटवारा अनुसार वादी को मु0 न0 05(0.253), 16 से 20(प्रत्येक 0.253) कुल 1.493 है0 नहरी बरानी कृषि भूमि दी हुई है। जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि मे कास्त कर रहा है। तथा उक्त पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहागें सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दुंगा परन्तु कुछ दिन पुर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से कहा कि वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमलदरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 01 टालमटोल करता रहा परन्तु दिनांक 01.12.2020 को प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

संख्या 01 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इंनकार कर दिया तथा उसने वादी को धमकी दी है। कि तुम्हें कृषि भूमि नही दुंगा जो तुम्हें करना है कर लो इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद का कारण है। उक्त हालातो में उक्त जद्दी जायदाद मे से वादी अपने अधिकारो की घोषणा करवाना चाहता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र मे होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद है। प्रतिवादी संख्या 06 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी किया जावेः–

(क) चक 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/26 के मु0 न0 64 के किला न0 05(0.253), 16 से 20(प्रत्येक 0.253) कुल 1.493 है0 नहरी बरानी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है) का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिंनाक 18.1.21 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एंव प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैंः–

वनचक 6 एच छोटी तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/26 के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 5(0.253), 16 से 20(प्रत्येक 0.253) की कुल 1.493 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज ना होगा। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 अपनी स्वेच्छा से, प्राकृतिक स्नेहवश उक्त पैतृक भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हक वा हिस्सा का परित्याग करती है। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपने पूर्ण होशो हवास स्थिर बुद्वि व साब्ते अक्ल के तहरीर करवा कर अपने हस्ताक्षर किये है।

दिनांक 16.02.21 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत। जवाब राज्य पक्ष के अनुसार वाद के बिन्दु संख्या– 1,3,4,5,6,7 को सिद्व करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 02 राजस्व रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 8,9 कानुनी है। वादी अपने परिवार में सदस्यो के हिस्से तक ही हक प्राप्त करने का अधिकारी है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 6 एच छोटी पटवार हल्का 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 एवं नामान्तकरण संख्या 351 दिंनाक 25.2.06, एवं नामान्तरण संख्या 553 554, 555 दिंनाक 15.03.2013, का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया

Scanned with CamScanner

संख्या 01 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इंनकार कर दिया तथा उसने वादी को धमकी दी है। कि तुम्हें कृषि भूमि नही दुंगा जो तुम्हें करना है कर लो इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद का कारण है। उक्त हालातो में उक्त जद्दी जायदाद मे से वादी अपने अधिकारो की घोषणा करवाना चाहता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र मे होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद है। प्रतिवादी संख्या 06 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः—

(क) चक 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/26 के मु0 न0 64 के किला न0 05(0.253), 16 से 20(प्रत्येक 0.253) कुल 1.493 है0 नहरी वरानी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है) का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिंनाक 18.1.21 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एंव प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैंः—

चक 6 एच छोटी तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/26 के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 5(0.253), 16 से 20(प्रत्येक 0.253) की कुल 1.493 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज ना होगा। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 अपनी स्वेच्छा से, प्राकृतिक स्नेहवश उक्त पैतृक भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हक वा हिस्सा का परित्याग करती है। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपने पूर्ण होशो हवास स्थिर बुद्वि व साब्ते अक्ल के तहरीर करवा कर अपने हस्ताक्षर किये है।

दिनांक 16.02.21 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत। जवाब राज्य पक्ष के अनुसार वाद के बिन्दु संख्या— 1,3,4,5,6,7 को सिद्व करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 02 राजस्व रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 8,9 कानुनी है। वादी अपने परिवार में सदस्यो के हिस्से तक ही हक प्राप्त करने का अधिकारी है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 6 एच छोटी पटवार हल्का 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 एवं नामान्तकरण संख्या 351 दिंनाक 25.2.06, एवं नामान्तरण संख्या 553 554, 555 दिंनाक 15.03.2013, का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

कि उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्व होता है। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.01.2021 के अनुसार वादी आकाशदीप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह के हिस्सा में चक 6 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 23/26 के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 5(0.253), 16 से 20(प्रत्येक 0.253) की कुल 1.493 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 इस भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा प्राकृतिक स्नेहवश अपने हिस्सा का परित्याग करती है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.02.201को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner